

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] No. 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

सा.का.नि 99(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2016 है।
 - (2) ये 26 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8 में, -
 - (i) उपनियम संख्या (2) में
 - (क) खंड (ख) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा;
 - (ख) खंड (ख) के उपखंड (x) का लोप किया जाएगा; और
 - (ग) खंड (ख) के उपखंड (xvii) का लोप किया जाएगा।
 - (ii) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।
 - (iii) उपनियम (4) का लोप किया जाएगा।

347 GI/2016 (1)

- (3) मूल नियम के, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा-
- "9. नाम का आरक्षण नाम के आरक्षण के लिए आवेदन प्ररूप सं. आईएनसी-1 में कंपनी (रजिस्ट्री कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाउपबंधित फीस के साथ किया जाएगा जिसे रजिस्ट्रार, केंद्रीय रजिस्ट्री केंद्र द्वारा यथास्थिति, अनुमोदित या अस्वीकृत, किया जा सके।"
- (4) मूल नियम के नियम 36 के उपनियम (12) में,-
- (i) उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा-
- '(खक) दस्तावेज पुनः प्रस्तुत करने और दूसरा अवसर पूर्ण होने के पश्चात् यदि रजिस्ट्रार उस समय भी पाता है कि दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हैं तो वह ऐसी त्रुटियों या किमयों को दूर करने के लिए तीसरा अवसर देगा;' परंतु, दस्तावेजों के पुनः प्रस्तुत करने की कुल अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी;
- (ii) उपखंड (ग) में 'दो अवसर' शब्दों के स्थान पर 'तीन अवसर' शब्द रखे जाएंगे।

(ग) *व्यवसाय का प्रकार 0 स्व नियोजित 0 वृत्तिक 0 होममेकर 0 छात्र 0 वेतनभोगी

(5) मूल नियम में विद्यमान प्ररूप संख्या आईएनसी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप आईएनसी-1 रखा जाएगा, अर्थात्,-

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 1

व्यवसाय का क्षेत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 (4) तथा कंपनी (निगमन और अनुषंगिक) नियम 2014 के नियम 8 एवं 9 के अनुसरण में



नाम के आरक्षण के लिए आवेदन

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी	
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।	
1. *निम्नलिखित के लिए आवेदन:	
 किसी नई कंपनी के निगमीकरण (भाग क, ख, ग) 	
o किसी विद्यमान कंपनी के नाम को परिवर्तित (भाग ख, ग, घ)	
भाग क : किसी नई कंपनी के निगमन के लिए नाम के लिए आरक्षण	
2. आवेदक का ब्यौरा (यदि आवेदक को डिन आवंटित किया गया है तो उस डिन की प्रविष्टि आज्ञापक है)	
(क) *िनदेशक पहचान सं. (डिन) या आयकर	पूर्व - पूरित
स्थाई लेखा सं. (पैन) या पासपोर्ट सं.	ब्यौरे का सत्यापन करें
(ख) *प्रथम नाम	
मध्य नाम	

(घ) पता *लाइन ।
लाइन ॥
(ड.)*शहर
(च)*राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
यदि 'लागू नहीं' चयनित, तो विनिर्दिष्ट करें
(छ) *पिन कोड
(ज)*आई. एस. ओ. देश कोड
(झ) देश
(ञ) *ई-मेल आई. डी.
(ट)*फोन (एस. टी. डी./आई. एस. डी. कोड के साथ)
(ठ) मोबाईल (देश कोड के साथ) -
(ड) फैक्स
3. (क)*कंपनी का प्रकार
o धारा ८ कंपनी o भाग। कंपनी (अध्याय २१)o उत्पादक कंपनी o नई कंपनी (अन्य)
(ख) *प्रस्तावित कंपनी का वर्ग बताएँ
o पब्लिक o प्राइवेट o प्राइवेट (एक व्यक्ति की कंपनी)
(ग) *प्रस्तावित कंपनी की श्रेणी बताएँ
(घ) *प्रस्तावित कंपनी की उपश्रेणी बताएँ
4. *उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें प्रस्तावित कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।
5. *उस कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें प्रस्तावित कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।
6. प्रवर्तक (कों) के ब्यौरे (यदि प्रवर्तक (कों) को डिन, आबंटित किया गया है तो उस डिन की प्रविष्टि करना आज्ञापक है)
*प्रवतर्क (कों) की संख्या की प्रविष्टि करें
।. *श्रेणी
*डिन या आय-कर पैन या पासपोर्ट संख्या या कॉरपोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.) या विदेशी कंपनी
पंजीकरण संख्या (एफ. सी. आर. एन.) या
कोई अन्य पंजीकरण सं.
*नाम
7. *प्रस्तावित कंपनी के संगम ज्ञापन में शामिल किए जाने वाला उद्देश्य
7. प्रस्तापित पोपना पो संगम सापन में सामिल किए जान पाला उद्दर्य
(एक निदेशक की जानकारी विनिर्दिष्ट करें यदि प्रस्तावित कंपनी एक व्यक्ति की कंपनी है, दो निदेशकों की सूचना
विनिर्दिष्ट करें यदि प्रस्तावित कंपनी प्राइवेट कंपनी है (उत्पादक कंपनी से भिन्न) तीन निदेशकों की सूचना विनिर्दिष्ट

करें यदि प्रस्तावित कंपनी पब्लिक कंपनी है या पाँच निदेशकों की सूचना विनिदिष्ट करें यदि प्रस्तावित उत्पादक कंपनी है)	कपने
*निदेशक पहचान संख्या (डिन)	
नाम	,
पिता का नाम	
राष्ट्रीयता जन्म तिथि (दिन/महीना/वर्ष)	
आयकर स्थाई लेखा सं. (पैन)	
पासपोर्ट संख्या मतदाता पहचान पत्र संख्या आधार संख्या	
वर्तमान आवासीय पता	
9. *क्या प्रवर्तक उस नाम से कोई भागीदारी फर्म, पूर्ण रूप से स्वत्वधारी या अरजिस्ट्रीकृत संस्थान चला रहे हैं जिस आवेदन किया है o हाँ o नहीं (यदि हाँ तो ऐसे नाम के उपयोग के लिए ऐसे संस्थान के सभी स्वामियों/भागीदारों से अनापित प्रामण पत्र संलग्न करें) यदि हाँ, तो क्या ऐसे संस्थान का कारबार प्रस्तावित कंपनी द्वारा उनके नियंत्रण में ले लिया जाएगा o हाँ o नहीं	नाम ः
ाग ख. प्रस्तावित नाम (नामों) के बारे में विवरणियाँ O.*कंपनी के लिए प्रस्तावित नामों की संख्या (कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें)	
प्रस्तावित नाम	
प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व	
यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय भाषा (ओं) का उपयोग	
किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 11. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिह्न नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिह्न का वर्ग (वर्गों) को विनिर्दिष्ट करें	
L. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न पर आधारित है / हैं या व्यापार चिह्न अधिनियम के अध रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं	

यदि हाँ, तो व्यापार चिह्न या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिह्न के आवेदक या व्यापार चिह्न स्वामी का अनुमोदन प्रस्तुत करें।
13. यदि नाम किसी विद्यमान कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के नाम से मिलता-जुलता है तो ऐसी कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें और बोर्ड संकल्प द्वारा अनापित प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करें (उस कंपनी के निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित) क. क्या नाम निम्निलिखित से मिलता-जुलता है :
🗆 विद्यमान 🔲 कंपनी विदेशी नियंत्री कंपनी
ख. विद्यमान कंपनी की दशा में, सी. आई. एन. प्रदान करें
पूर्व पूरित
ग. कंपनी का नाम
14.(क)*क्या प्रस्तावित नाम में बीमा, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर पूंजी, परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि या म्यूच्वल फंड आदि जैसे शब्द शामिल हैं।
हाँ
नहीं
यदि हाँ, तो क्या से सैंद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि अन्य हो तो विनिर्दिष्ट करें।
o हाँ o नहीं (यदि हाँ, तो अनुमोदन की प्रति संलग्न करें या यदि नहीं, तो निगमन प्ररूप भरते समय अनुमोदन की प्रति संलग्न करें।) (ख) *क्या प्रस्तावित नाम में 'इलेक्टोरल ट्रस्ट' मुहावरा शामिल है। हाँ नहीं
[यदि हाँ, तो नियम 8(2)(ख)(vi) के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें]
भाग ग. ऐसे नाम जिनके लिए केंद्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक हो
15.*क्या प्रस्तावित नाम (मों) में ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति शामिल हैं जिनके लिए केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक हो हाँ
नहीं (यदि हाँ, तो इस प्ररूप को ऐसे अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार के लिए आवेदन माना जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई की
जाएगी)
भाग घ किसी विद्यमान कंपनी द्वारा नाम बदलने के लिए नाम का आरक्षण
16. (क)*कंपनी का सी. आई. एन.
(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी. एल. एन.)
17. (क) कंपनी का नाम (ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
(ज) पत्रवा पर पतापूरा पत्रवासय पत्र पता
(ग) कंपनी का ई-मेल आई. डी.

18. (क)*बताएँ कि क्या केंद्रीय सरकार से प्राप्त निदेश के कारण नाम	परिवर्तित है।		
o हाँo नहीं (यदि हाँ, तो ऐसे निदेशों की प्रति संलग्न करें)			
(ख)*क्या प्रस्तावित नाम नियम 8(8) के अनुसार है और अधिकर	(ख)*क्या प्रस्तावित नाम नियम 8(8) के अनुसार है और अधिकरण का विशिष्ट निदेश संलग्न है o हाँo नहीं		
(यदि 'हाँ' चुना गया है तो नियम 8(8) में यथा अपेक्षित अधिकरण	का आदेश संलग्न करे	रें।	
19. (क)*क्या नाम परिवर्तित के लिए कंपनी के उद्देश्य को परिवर्तित अपेक्षि	त है।		
O हाँo नहीं			
		- }	
(ख) नाम परिवर्तित के लिए कारण (उपर्युक्त हाँ की दशा में, कंपनी के	प्रस्तावित उद्दरया का उल	१९१५ कर)	
<u></u>			
संलग्नक	Γ		
(1) किसी विद्यमान कंपनी का नाम बदलने की दशा में बोर्ड	संलग्न करें		
संकल्प की एक प्रति ;			
(2) यदि केद्रीय सरकार से प्राप्त निदेश के कारण	संलग्न करें		
नाम परिवर्तित है तो ऐसे निदेश की प्रति ;	सलग्न कर		
(3) यदि प्रस्तावित नाम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न पर			
आधारित है (हैं) या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के	संलग्न करें		
अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है (हैं) तो			
व्यापार चिह्न के स्वामी या व्यापार चिह्न के			
रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे आवेदन के आवेदक का अनुमोदन ;			
(4) यदि प्रस्तावित नाम में ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति (याँ) शामिल हैं	संलग्न करें		
जिसके (जिनके) लिए केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है तो			
केद्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रति ;			
(5) संबंधित विनियामक से सैद्धांतिक अनुमोदन ;	संलग्न करें		
(6) एक मात्र स्वत्वधारियों / भागीदारों / अन्य एसोसिएट्स से अनापति	संलग्न करें		
प्रमाण पत्र ;			
(7) विद्यमान कंपनी से अनापति प्रमाण पत्र ,	संलग्न करें		
(8) शपथ पत्र की प्रति, यदि प्रस्तावित नाम में 'इलेक्टोरल ट्रस्ट'	संलग्न करें		
मुहावरा शामिल है।	Will St. ST.		
(9) अध्याय XXI (भाग I) कंपनियों की दशा में अरजिस्ट्रीकृत	संलग्न करें		
कंपनियों का संकल्प ;			
(10) नियम 8(8) में यथापेक्षित सक्षम प्राधिकारी का आदेश	संलग्न करें	संलग्नक हटाएँ	
(11) विदेशी कंपनी द्वारा पारित संकल्प	संलग्न करें		
(12) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई है।	संलग्न करें		
• •			

घोषणा

मैं संगम ज्ञापन के लिए प्रवर्तक (प्रस्तावित प्रथम अभिदाता) हूँ और मैं इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए दूसरे प्रस्तावित प्रवर्तक (प्रवर्तकों) और प्रथम अभिदाता द्वारा भी प्राधिकृत हूँ।

- *मैंने कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों तथा नाम के आरक्षण के बाबत उसके अधीन बनाए गए विहित दिशानिर्देशों को पढ़ लिया हैं, उसके अर्थ को समझ लिया है तथा प्रस्तावित नाम उसके अनुरूप है / हैं।
- *मैंने पहले ही क्रमश: रजिस्ट्रीकृत कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी (एल. एल. पी.) या पहले ही अनुमोदित नामों से प्रस्तावित नामों की समानता की जाँच करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम. सी. ए.) के पोर्टल पर तलाश (सर्च) सुविधाओं का उपयोग कर लिया है। मैंने व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न और व्यापार चिह्न की विषय वस्तु की समानता की जाँच करने के लिए तलाश (सर्च) सुविधा तथा नामों की समानता के लिए अधिनियम और उसके नियमों के उपबंधों के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के लिए प्रस्तावित नाम (मों) की समानता की जाँच करने के लिए अन्य संगत तलाश (सर्च) सुविधा का भी उपयोग कर लिया है।
- *प्रस्तावित नाम समय–समय पर यथा संशोधित संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं है / हैं।
- *प्रस्तावित नाम किसी भी वर्ग के लिए अपमानजनक नहीं है अर्थात प्रस्तावित नाम में ऐसी निंदा या शब्द या मुहावरे नहीं हैं जो किसी जातिगत समृह, धर्म, लिंग या विरासत के प्रति सामान्यता कलंक माने जाते हों।
- *प्रस्तावित नाम ऐसा (ऐसे) नहीं है (हैं) कि कंपनी द्वारा इसका उपयोग तत्समय लागू किसी कानून के अधीन अपराध हो। मैंने संबंधित अधिनयम/विनियामक अर्थात आई. आर. डी. ए., आर. बी. आई., सेबी, एम. सी. ए. आदि की आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है (केवल तब ही लागू जब प्रस्तावित नाम में बीमा, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, जोखिम पूंजी, परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि, पारस्परिक निधि, निधियन, निवेश पट्टा, हायर परचेज आदि या उसका कोई मिश्रण जैसे शब्द शामिल हों)।
- *मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, इस आवेदन तथा इसके संलग्नक में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संगत किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

मुझे तारीख _____ के निदेशक बोर्ड की संकल्प संख्या ____ द्वारा इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने (नाम बदलने के लिए) हेत् प्राधिकृत किया गया है।

* यदि नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) एवं धारा 4(4)

और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में पाया जाता है तो मैं उसके परिणामों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होने का वचन देता हूँ तथा मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) (ii) (क) और (ख) तथा उसके अधीन नियमों के उपबंधों को पढ़ और समझ भी लिया है तथा उसके परिणामों के लिए स्वयं को पूरी तरह जिम्मेदार घोषित करता हूँ।

*डिजिटल हस्ताक्षर

*पदनाम		डी.एस.सी.	बॉक्स

*आवेदक का डिन या आयकर पैन या पासपोर्ट संख्या या निदेशक का निदेशक पहचान संख्या; प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी (सी. एफ. ओ.) का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: झूठे वचन तथा गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.िन. संख्या 250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 349(अ), तारीख 01 मई, 2015 तथा अंत में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 442(अ), तारीख 29.05.2015 द्वारा उनमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2016

- **G.S.R.** 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:—
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force from 26th day of January, 2016.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 8,—
- (i) in sub-rule (2)—
 - (a) sub-clause (ii) of clause (b) shall be omitted;
 - (b) sub-clause (x) of clause (b) shall be omitted; and
 - (c) sub-clause (xvii) of clause (b) shall be omitted.
- (ii) sub-rule (3) shall be omitted.
- (iii) sub-rule (4) shall be omitted.
- 3. In the principal rules, for Rule 9 the following shall be substituted namely:-
- "9. Reservation of name An application for the reservation of a name shall be made in Form No. INC.1 along with the fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 which may be approved or rejected, as the case may be, by the Registrar, Central Registration Centre."
- (4)In the principal rules, in rule 36, in sub-rule(12),-
- (i) after sub-clause (b), the following shall be inserted.-
- '(ba) After the resubmission of the documents and on completion of second opportunity, if the registrar still finds that the documents are defective or incomplete, he shall give third opportunity to remove such defects or deficiencies;'

Provided that the total period for re-submission of documents shall not exceed a total period of thirty days.

- (ii) in sub-clause (c), for the words 'two opportunities', the words 'three opportunities' shall be substituted.
- (5) In the principal rules, for the existing Form No.INC-1, the following form no. INC-1 shall be substituted, namely:-

FORMNO. INC-1

[Pursuant to section 4(4) of the Companies Act, 2013 and pursuant to rule 8& 9 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]




Application for reservation of Name

Form language oEnglish o Hindi Refer the instruction kit for filing the form. 2. *Application for: • Incorporating a new company (Part A, B, C) • Changing the name of an existing company (Part B, C, D) Part A: Reservation of name for incorporation of a new company 2. Details of applicant (In case the applicant has been allotted DIN, then it is mandatory to enter such DIN) (a) *Director identification number (DIN) or Income tax Pre-Fill permanent account number (PAN) or passport number **Verify Details** (b) *FirstName Middle Name *Surname (c) *Occupation Type o Self-employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman Area of occupation (d) Address *Line I Line I (e) *City (f) *State/Union Territory If 'NA' selected, specify (g) *Pin Code (h) *ISO Country Code (i) Country (j) *e-mail Id (k) Phone(with STD/ISD code) (l) Mobile (with Country code) (m) Fax 4. (a)*Type of company o Section 8 Company o Part I Company (Chapter XXI) o Producer Company o New Company (Others) (b) *State the class of proposed company o Public o Private o Private (One Person Company) (c) *State the category of proposed company (d) *State the sub-category of proposed company 4. *Name of the State/Union Territory in which the proposed company is to be registered

*Category *DIN or Income-tax PAN or passport number or corporate identification number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) or any other registration number *Name *Name *Particulars of proposed Company to be included in its MoA *Particulars of proposed director(s) *Cobjects of the proposed director in case the proposed company is One Person Company or of two directors in case the propany is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a private company is a private company is a private company is a private company is a producer company) *Director identification number (DIN) *Particulars of proposed director(s) *Director identification number (DIN) *Pre-Fill Name Nationality Date of birth (DD/MM/Y Income tax permanent account number (PAN) Passport number Aadhaar number Present residential address *Present residential address *One of the proposed company of two directors in case the proposed company is a public core five directors in case the proposed company is a public core five directors in case the proposed company is a public core five directors in case the proposed company is a public core five directors in case the proposed company is a public core five directors in case the proposed company is a producer company is a produce		ls of promoter(s) (In case the promoter(s) has been allotted DIN, then it is mandatory to enter such DIN) r the number of promoter(s)
"Name "Particulars of proposed director(s) serify information of one director in case the proposed company is one Person Company or of two directors in case the propany is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a producer company) "Particulars of proposed director(s) serify information of one director in case the proposed company is a producer company) "Particulars of proposed director(s) serify information of one director in case the proposed company is a public core of five directors in case the proposed company is a public core of five director identification number (DIN) Name Pather's Name Nationality Passport number Voter identity card number Aadhaar number Present residential address 9. "Whether the Promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the nar applied for o Yes o No	[.	*DIN or Income-tax PAN or passport number or corporate identification number (CIN) or foreign company registration
Particulars of proposed director(s) city information of one director in case the proposed company is One Person Company or of two directors in case the propany is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a public confirmed five directors in case the proposed company is a producer company) *Director identification number (DIN) Name Father's Name Nationality Date of birth (DD/MM/Y Income tax permanent account number (PAN) Passport number Aadhaar number Present residential address 9. *Whether the Promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the nar applied for o Yes o No		number (FCRN) or any other registration number
cify information of one director in case the proposed company is One Person Company or of two directors in case the propany is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company or directors in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company or directors in case the proposed company or directors in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a proposed company in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a public confirmed in c	Obje	cts of the proposed Company to be included in its MoA
city information of one director in case the proposed company is One Person Company or of two directors in case the propany is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirve directors in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company or directors in case the proposed company is a public confirmed in case the proposed company or directors in case the proposed company or directors in case the proposed company is a public confirmed in c		
Name Father's Name Nationality Date of birth (DD/MM/Y Income tax permanent account number (PAN) Passport number Aadhaar number Present residential address Nationality Date of birth (DD/MM/Y Passport number Adhaar number Present residential address Nationality Date of birth (DD/MM/Y Passport number Andhaar number Present residential address	cify in	nformation of one director in case the proposed company is One Person Company or of two directors in case the prop is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a public com
Nationality Date of birth (DD/MM/Y Income tax permanent account number (PAN) Passport number Aadhaar number Present residential address O. *Whether the Promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the nar applied for o Yes o No		Pre-Fill
Income tax permanent account number (PAN) Passport number Aadhaar number Present residential address Present residential address As whether the Promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the nar applied for o Yes o No	Fa	ather's Name
Aadhaar number Present residential address		
D. *Whether the Promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the nar applied for o Yes o No	A	adhaar number
applied for o Yes o No	Pr	resent residential address
applied for o Yes o No	L	
(If yes, attach NOC from all owners/partners of such entity for use of such name)		
If yes, whether the business of such entity shall be taken over by the proposed Company		applied for o Yes o No

Part B. Particulars about the prope	osed name(s)				
10. *Number of proposed names for (Please give maximum six names in	, , , L				
Proposed name					\neg
Significance of key or coined word in the proposed name					
State the name of the vernacular language(s) if used in the proposed name					
11. *Whether the proposed name is in o Yes o No	n resemblance with	any class of Trade	Marks Rules,	2002	\neg
If Yes, Please specify the Class(s) of trade mark				
12. *Whether the proposed name(s pending for registration under the Tr		a registered tradem	ark or is sub	ject matter of an ap	plication
• Yes					
o No					
If yes, furnish particulars of trac	le mark or application	on and the approval	of the applica	ant or owner of	
the trademark					
13. In case the name is similar to a company and also attach copy of the of that company)					
a. Whether the name is similar to	0:				
☐ existing Company	☐ foreign hold	ing Company			
b. In case of existing Company,	, provide CIN				
]		Pre fill	
c. Name of the Company		_			-
14.(a)*Whether the proposed name Asset Management, Nidhi, or Mutua		such as Insurance,	Bank, Stock	Exchange, Venture	Capital,
Yes					
No					
If Yes, whether the in-principle appr	oval is received from			specify of	ther
	0 1cs 01v				

(If yes, attach the approval or if No, attach the approval at the time of fi	iling the Incorporation form)
(b) *Whether the proposed name including the phrase 'Electoral trus	st'.
Yes	
No	
[If Yes, attach the affidavit as per rule 8(2)(b)(vi)]	
Part C. Names requiring Central Government approval	
15. *State whether the proposed name(s) contain such word or express Government is required.	sion for which the previous approval of Central
Yes	
No	
(If yes, this form shall be treated as an application to the	e Central Govt. for such approval and shall be
dealt with accordingly)	
Part D. Reservation of name for change of name by an existing Con	npany
16. (a)*CIN of Company	Pre-fill
(b) Global Location Number(GLN) of Company	
17. (a) Name of Company	
(b) Address of the registered office of the Company	
(c) email ID of the company 18. (a)*State whether the change of name is due to direction received for Yes No (If yes, please attach a copy of such directions)	
(b)*Whether the proposed name is in accordance with the rule attached Yes No	•
(If 'Yes' selected, attachorder of tribunal as required in Rule 8(8)	
19. (a)*Whether the change in name requires change in object of the co	ompany
Yes No	
(b) Reasons for change in name (in case of yes above, mention prop	posed objects of the company
Attachments	List of attachments
(1) In case of change of name of an existing company, a copy of Board resolution; (2) If change of name is due to direction received from	
(2) If change of name is due to direction received from the Central Government, then copy of such direction;	h



Declaration

I am a Promoter (proposed first subscriber) to the Memorandum of Association and I am also authorized by other proposed promoter(s) and first subscriber(s) to sign and submit this application.

- *I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013, the rules thereunder and prescribed guidelines framed thereunder in respect of reservation of name, understood the meaning thereof and the proposed name(s) is /are in conformity thereof.
- *I have used the search facilities available on the portal of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for checking the resemblance of the proposed name(s) with the companies and Limited Liability partnerships (LLPs) respectively already registered or the names already approved. I have also used the search facility for checking the resemblances of the proposed name(s) with registered trademarks and trade mark subject of an application under The Trade Marks Act, 1999 and other relevant search for checking the resemblance of the proposed name(s) to satisfy myself with the compliance of the provisions of the Act for resemblance of name and Rules thereof.
- *The proposed name(s) is/are not in violation of the provisions of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 as amended from time to time.
- *The proposed name is not offensive to any section of people, e.g. proposed name does not contain profanity or words or phrases that are generally considered a slur against an ethnic group, religion, gender or heredity.
- *The proposed name(s) is not such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force.

I have complied with all the mandated requirements of the respective Act/regulator, such as IRDA, RBI, SEBI, MCA etc. (applicable only in case proposed name includes words like Insurance, Bank, Stock Exchange, Venture Capital, Asset Management, Nidhi, Mutual Fund, Finance, Investment, Leasing, Hire purchase etc. or any combination thereof).

*To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments thereto is correct and complete, and nothing relevant to this form has been suppressed.
I have been authorized by the Board of Directors resolution Number
to sign and submit this application (for change of name).
*I undertake to be fully responsible for the consequences in case the name is subsequently found to be in contravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of The Companies Act, 2013 and rules thereto and I have also gone through and understood the provisions of section 4(5) (ii) (a) and (b) of The Companies Act, 2013 and rules thereunder and fully declare myself responsible for the consequences thereof.
*To be digitally signed by DSC BOX
*Designation
*DIN or Income-tax PAN or passport number of the applicant or
Director identification number of the director; or PAN of
the manager or CEO or CFO; or Membership number of the
Company Secretary
Note: Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, <i>inter-alia</i> , provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

[F. No. 1/13/2013 CL-V-part-I]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated the 31st March, 2014, amended *vide* number G.S.R. 349(E) dated 1st May, 2015 and lastly *vide* number G.S.R. 442(E). dated 29.05.2015.